घटना | चरगवां थाना अंतर्गत उमरिया डूंगरिया क्षेत्र का मामला

शिकार के लिए बिछाए करंट से किशोर की मौत

नवभारत, जबलपुर। चरगवां थाना अंतर्गत उमरिया डूंगरिया में शिकारियों द्वारा जंगली सूअर को मारने के लिए बिछाए गए बिजली के करंट की चपेट में आने से युवक व किशोर की दर्दनाक मौत हो गई।

थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी के अनुसार किशन ठाकुर (28 वर्ष) निवासी दियाखेड़ा और गोविंद ठाकुर (16 वर्ष) निवासी उमरिया की लाशें गुरूवार सुबह डूंगरिया जंगल में पड़ी मिली। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दोनों लोहे की रॉड लेकर पैदल जंगल से पहाडी एरिया से घर लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात शिकारियों ने जंगली सूअर को फंसाने के लिए

बिजली के तारों का जाल बिछा रखा था। लोहे की रॉड हाथ में होने के कारण दोनों युवक उस हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए और दोनों की करंट से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब क्षेत्र में इस तरह के अवैध शिकार करने वालों की पतासाजी करने के साथ उनकी तलाश कर रही है। दो मौत के जिम्मेदार कौन है इसका इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है ।

काम से निकले, वापिस नहीं लौटे थे

चूरामन तेकाम 60 वर्ष निवासी दियाखेडा ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र किशन तेकाम का गोविंद दोस्त था। बुधवार रात लगभग 10 बजे काम से उमरिया गये थे जो वापस नहीं आये थे गोविंद के रिश्ते के मामा देवी सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि गुरूवार सुबह लगभग 4 बजे किशन एवं गोविंद लोहे की रॉड लेकर उमरिया के जंगल के रास्ते आ रहे थे, दोनो को करंट लग गया है।

मौत का जाल बिछाने वालों पर होगी एफआईआर

पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है पीएम रिपोर्ट और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही जंगली जानवरों के करंट का जाल बिछाने वाले के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज होगी ।

दूसरे पक्ष के आरोपियों को भी जमानत नहीं

सिहोरा बलवा कांड : कोर्ट ने पांच आरोपियों की अर्जियां कीं निरस्त

जबलपुर। सिहोरा बवालकांड में दूसरे पक्ष के आरोपियों को भी झटका लगा है। जेएमएफसी अजय उइके की अदालत ने मस्जिद में तोडफ़ोड़ और मारपीट करने वाले दूसरे पक्ष के आरोपियों की जमानत अर्जिया निरस्त कर दी है। इससे पहले विगत दिवस अदालत ने मुस्लिम पक्ष के आरोपियों की जमानत अर्जियां निरस्त की थी।

मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार शर्मा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि मामला 19 फरवरी 2026 की रात का है। फरियादी रहूप शाह ने सिहोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह मुबारक शाह और अन्य लोगों के साथ बाबा साहब की मजार के पास खड़े थे, तभी आजाद चौक की घटना को लेकर पृथ्वी चौहान, जितेन्द्र उर्फ जित्तू बर्मन, भगत चौहान, कल्लू गुप्ता, राहुल श्रीवास्तव, सक्षम गुप्ता, करिया झारिया और उसका भाई अपने साथ 25 से 30 अन्य लोगों को लेकर वहां पहुंच गए। जिनके हाथों में लाठी, डंडे, रॉड और तलवारें थीं। आरोपियों ने मजार में घुसकर तोडफ़ोड़ की, दान पेटी तोड़ दी और वहां रखा करीब 15 हजार रुपये का चांदी का छत्र चोरी कर ले गए। घटना के दौरान आरोपियों ने न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाईए बल्कि वहां मौजूद लोगों के साथ गाली-गलौज भी की। डर के कारण लोग वहां से भाग गए। आरोप है कि आरोपियों ने मुबारक शाह के घर के सामने खड़ी उसकी मोटर साइकिल और चार पहिया वाहन में भी तोड़फोड़ की।

93 केंद्रों में हुई राजनीति शास्त्र की परीक्षा

95 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित नहीं बना कोई नकल प्रकरण

नवभारत, जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हो रही बोर्ड परीक्षाओं में गुरुवार के दिन बारहवीं कक्षा का राजनीति शास्त्र विषय का पेपर आयोजित हुआ। यह परीक्षा जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर 93 केंद्रों में आयोजित की गई। जिसमें 5713 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन 5618 विद्यार्थियों ने ही राजनीति शास्त्र की परीक्षा दी। जबकि 95 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित थे। परीक्षा में कोई भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया है, इसी के साथ उड़न दस्ता की टीम ने विभिन्न केंद्रों में पहुंचकर आकस्मिक रूप से निरीक्षण भी किया।

दसवीं में आज विज्ञान का पेपर

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में आज शुक्रवार का दसवीं कक्षा में विज्ञान विषय का पेपर है। इस परीक्षा में जिले के लगभग 23 हजार 938 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर 100 केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूर्ण कर ली है।

षड़यंत्र कर बसों के जरिए 9 करोड़ की टैक्स चोरी

ईओडब्ल्यू जबलपुर ने बस मालिक, परिवहन विभाग कर्मचारी पर दर्ज की एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। षड़यंत्र रच कर यात्री बसों के जरिए 9 करोड़ की टैक्स चोरी करने पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने बस मालिक एवं परिवहन विभाग के कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर में प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल से शिकायत मिली कि संजय केशवानी एवं साधना केशवानी के नाम पर दर्ज यात्री वाहनों व्दारा बकाया टैक्स होने पर भी वाहनों का परमिट, फिटनेस जिला परिवहन कार्यालय डिंडौरी से जारी करने के संबंध में शिकायत की गई थी। जांच में पाया गया कि संजय केशवानी, साधना केशवानी, एवं सहायक ग्रेड-1 पुष्प कुमार प्रधान द्वारा आपस में अपराधिक षड्यंत्र कर, शासन के साथ धोखाधड़ी की। संजय केशवानी एवं साधना केशवानी ने बिना अनुमति प्राप्त किए विवादित वाहनों को नष्ट किया। आरोपियों को लाभ पहुंचाने की नियत से सहायक ग्रेड-1, पुष्प कुमार प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर कार्यकाल के दौरान बकाया टैक्स वाहनों की मूल नस्तियों को सुरक्षित नहीं रखा। शासन को लगभग 9 करोड़ रूपये की आर्थिक क्षति कारित किया। जिस पर ईओडब्ल्यू जबलपुर ने संजय केशवानी, साधना केशवानी, पुष्प कुमार प्रधान सहायक ग्रेड-1 जिला परिवहन कार्यालय डिण्डौरी समेत अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

कबाड़ में बेचना बता टैक्स देना किया बंद

जांच में पायाग किया वाहन मालिकों द्वारा 2006 से बसों को कबाड़ में बेच दिये जाने की सूचना जिला परिवहन कार्यालय डिण्डौरी में दे देना बताया गया और परिवहन विभाग को टैक्स देना बंद कर दिया गया। वर्ष 2017 से जिला परिवहन कार्यालय डिण्डौरी ने दोनों से टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू की।

पांच जिलों में 16 बसें

शिकायत की जांच पर पाया गया कि संजय केशवानी एवं साधना केशवानी के नाम पर 16 बसे जबलपुर, शहडोल, डिण्डौरी, मण्डला एवं बालाघाट में रजिस्टर्ड थी। दोनों वाहन मालिकों द्वारा अपनी बसों को डिण्डौरी से जबलपुर, डिण्डौरी से बम्हनी, बिछिया से डिण्डौरी एवं अमरकंटक से मलाजखण्ड तक संचालित किया जाता था। 16 बसों में से विभिन्न बसों का वर्ष 2006 से 2025 तक का टैक्स इन वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं किया गया था।

लिपिक ने फाइलें कीं गायब

वसूली कार्यवाही के दौरान जिला परिवहन कार्यालय डिण्डौरी के लिपिक, पुष्प कुमार प्रधान, सहायक ग्रेड-1 द्वारा बसो की टैक्स की फाईलें गायब कर दी गई। टैक्स की फाईल गुम जाने के कारण परिवहन विभाग द्वारा आज दिनांक तक टैक्स नहीं वसूल पाने के कारण शासन को लगभग 9 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई।

अधिकृत डीलरः जबलपुर: सुपर हीरो (साउथ सिविल लाईन्स) 9289922350, सुदर्शन हीरो (नेपियर टॉउन 9289922353, मदन महल 9111100352, दमोह नाका 9111100344), बालाघाट: जायसवाल हीरो 9289922572, छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, मण्डला: शुभा हीरो 9289922600, नरसिंहपुर: रचना हीरो 9289922377, रीवा: बद्रिका हीरो (टी.पी. नगर 9752263333, इलाहाबाद रोड 9171705391), सतना: स्टार हीरो 9289922356, बद्रिका हीरो 9289923108, शहडोल: विभोर हीरो 9289923109, गुप्ता हीरो 9289922370, कटनी: हर्ष हीरो 9289923166, वैढ़न: कुन्दन हीरो 9289922743, बजरंग मोटर्स 7354559000, सीधी: राजेन्द्र मोटर्स 9289923113, सिवनी: सुदर्शन हीरो 9821745435, चौरई: श्रीजी ऑटोमोबाईल्स, 9821749342, दमोह: इण्डिया ऑटो हीरो 9289922573, एसोशिएट डीलरः पथरिया: एसएस ऑटोमोबाइल्स, 9691147568, सेमरिया: आकाश मोटर्स 9893918358, अमरवाड़ा: अर्पित ऑटोमोबाईल्स 7428595943, ब्यौहारी: श्री राम ऑटोमोबाईल्स 9424683246, बुड़हार: श्री ऑटोमोबाईल्स 9425181937, डिंडोरी: अवधिया ऑटो 8959777333, नैनपुर: स्वास्तिक मोटर्स 9893746172, गाडरवाड़ा: शेखर व्हीकल्स 9425467409, जुन्नारदेव: लक्ष्मी नारायण मोटर्स 8109164000, कोतमा: सिटी ऑटोमोबाईल्स 7987519546, मैहर: वैशाली ऑटोमोबाईल्स 9424741022, मउगंज: सेंगर मोटर्स 9425185568, लांझी: श्रीखण्ड ऑटोमोबाईल्स 7428390262, पांढुरना: जय भवानी ऑटोमोबाईल्स 7428390263, परासिया: श्री महावीर ऑटोमोबाईल्स 7354460008, रामपुर बघेलान: साँई ऑटोमोबाईल्स 9993224296, रांझी: गुरुकृपा ऑटो 9424728007, सिहोरा: बाईक प्वांट 9826802730, उमरिया: गुप्ता ऑटो एजेन्सी 9285505630, वारासिवनी: रुसिया मोटर्स 9425822392, मुलताई: शारदा श्री मोटर्स 9522870001, चितरंगी: ओम मोटर्स 9685416118, बरगवां: बजरंग मोटर्स 9926183734, बहरी: श्याम एजेंसी 9981238133, बरही: अजीत ऑटोमोबाइल्स 7566217410, 9131739086, अनूपपुर: बाल गोविंद ऑटोव्हील्स 9770531138, 9770744844, नागोद: चौरसिया ऑटोमोबाइल्स 9926365074, देवसर: श्री राम मोटर्स 9425086868 अमरपाटन : रिशु ऑटोमोबाइल्स 9893829195, स्लीमनाबाद: अनिल मोटर्स 9425466101, रामनगर: विजय ऑटोमोबाईल्स 9893252517, धनोरा: भवानी व्हीकल्स 9424950703, सरई: यश मोटर्स, 9981718853, सालीचौका: अभिषेक इंटरप्राइजेज 8989434793, उंचेहरा: अंकुर ऑटोमोबाइल्स, 7999328251, गढ़: अंबे मोटर्स, 9752666969, गुन्नौर: मधुबन मोटर्स, 8959050501, मड़वास: ओम मोटर्स, 9009066959, मझौली: न्यू कुन्दन ऑटोमोबाइल्स, 9584628677, Hero Sure (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, नरसिंहपुर: रचना हीरो 8815396340, दमोह : इंडिया ऑटो सेंटर 8839230079.

FCB INTERFACE/8486/DEC25/HINDI

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57